प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के रेल मंत्रालय के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरण वे हैं, जो 2017-18 की अवधि के लिये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचित नहीं किए जा सके; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी, जहाँ आवश्यक है, शामिल किया गया है ।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गयी है ।